

पुष्कल

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अपील कमीपूर्ति पूर्ण नहीं
किये जाने से खारिज
30/8/19

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

गणेश पुत्र श्री राजू बनाम राज. मन्कार वरिये व लक्ष्मी लक्ष्मी
जाति बाबा (वरिये व लक्ष्मी लक्ष्मी) पुत्र व उष्य
किस्म मुकदमा (अप्य) नम्बर सन् 2019 (पुष्कल)
75 एल. आर. एम् 300/2019

2019/00300

(पुष्कल)

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुकम की तामील जारी हुए
पेशी	श्री मदनपुरी गोस्वामी श्री	
5.8.19	यह अपील श्री मदनपुरी गोस्वामी एडवोकेट ने विद्वान अतिरिक्त कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 02.11.1991, प्रकरण संख्या 167/2016 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश की हैं। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील में कोर्ट फीस, नोटिस पूर्ण नहीं हैं तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। आगामी पेशी पर अभिभाषक अपीलांट आवश्यक रूप से उपरोक्त कमीपूर्ति पूर्ण करें। पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति दिनांक 14.08.2019 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
14.8.19	पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति पेश। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट कमीपूर्ति हेतु अवसर चाहते हैं, जो न्यायहित में दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति दिनांक 19.08.2019 का पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
19.8.19	पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति पेश। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट कमीपूर्ति हेतु अवसर चाहते हैं, जो न्यायहित में दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति दिनांक 26.08.2019 का पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
26.8.19	पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति पेश। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट कमीपूर्ति हेतु अवसर चाहते हैं, जो न्यायहित में दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति दिनांक 30.08.2019 का पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
30.8.19	पत्रावली वास्ते कमीपूर्ति पेश। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट कमीपूर्ति पूर्ण करने हेतु कई अवसर लिये हैं किन्तु उनके द्वारा पूर्ति नहीं की गई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कमीपूर्ति पूर्ण नहीं किये जाने से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	